

23/2/26

अधिवक्ता अपीलांत अनु. अधिवक्ता अपीलांत व अपीलांत
को न्यायालय ती ओर से रुठ-रुठकर सार-2 प्रमाणे
लगायी गयी। इच्छे वाक्यपूद इतही ओर से कोई उपस्थित
नही हुआ। इच्छे अतिरिक्त ये प्रकरण में अदेशी डा
दिनांक 25/10/2024 द्वारा अधिवक्ता अपीलांत को
रेसी. सं. 02 लगायत 04 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश होने
देतु निर्देशित किया गया। किंतु अधिवक्ता अपीलांत
को आदिनांक तक पर्याप्त अक्सर दिये जाने के वाक्यपूद
न्यायालय आदेशों की तहमील नही की गयी। लिहाजा
उक्त अपील अदम हाजरी। फैंकी व अदम तहमील में
खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैंखण शुमार होकर बाद
आवश्यक कार्यवाही दायिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली